



98

न्यायालय श्रीमान अश्वदा महोदय, राजस्व मण्डल न०५० न्यायलियर,
केम्प, मोपाल

PBA/निरानी/मोपाल/शु.श/2017/4915 प्रकरण क्रमांक

रमनसिंह (मृतक) द्वारा वास्तुमान :-

- १- सिंगारबाई पत्नी स्व० श्री रमनसिंह,
 - २- सुद्धिमता बाई पुत्री स्व० श्री रमनसिंह,
 - ३- वणाबाई, ४- भारतीबाई, ५- अंकित
 - ६- अनुरोध नाबालिन पुत्रियां एवं पुत्राणां स्व०
- श्री रमनसिंह संरक्षिका मां सिंगारबाई
समस्त निवासीगण ग्राम रासलासेडी,

27

अभिभावक श्री सुनील शिवांगी शर्मा
द्वारा आज दिनांक 17.11.17
को पेश।

तहसील हुजूर जिला मोपाल - - - - - निरानीकस्तारिण

विरुद्ध

अधीनस्थ
ज.स.
आशुतोष चामरा 27.11.17
का प्रान
27.11

- १- सिम्मी बाई पत्नी स्व० टीकाराम,
 - २- भगवा नदास, ३- बा कूलाल, ४- उशीलाल,
 - ५- नन्दकिशोर, ६- दीवा समस्त व्यस्क एवं
- पुत्रापुत्रीगण स्व० श्री टीकाराम, समस्त
निवासीगण ग्राम रायपुर, तहसील हुजूर
जिला मोपाल,

- ✓ ७- सर्वशसिंह व्यस्क पुत्र स्व० कालूराम
 - ८- गेंदाबाई पत्नी स्व० श्री कालूराम,
 - ✓ ९- मिश्रीलाल (मृतक) द्वारा उत्ताराधिकारी-
 - (अ) सीताराम व्यस्क पुत्र,
 - (ब) शैतानसिंह व्यस्क पुत्र,
 - (स) मुरलीधर व्यस्क पुत्र
- समस्त निवासी ग्राम रासलासेडी,
तहसील हुजूर जिला मोपाल,

- ✓ १०- कुसुमबाई व्यस्क पुत्री श्री आशाराम
पत्नी श्री शिवप्रसाद निवासी ग्राम
रायपुर, तहसील हुजूर जिला मोपाल --- गैरनिरानीकस्तारिण

Pa

निरानी अन्तर्गत धरारा ५० म०५० मू-राजस्व संहिता, १९५६ विरुद्ध
आदेश दिनांक २४.१०.२०१७ जा प्रकरण क्रमांक ०१।अपील।१६-१७ मे

शु.श.
निरानी

ab

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./17/4915

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.एन. गौर, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 से 6 की ओर से श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 4 खुशीलाल सहित उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 9 के वारिसान व अनावेदक क्रमांक 10 की ओर श्री जगदीश कुमार प्रजापति, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । शेष अनावेदक सूचित हों ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	